प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0 (SHA),
चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

उप सचिव,
चिकित्सा अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा–431–11/2018–19/122 लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय : भारत सरकार द्वारा जनस्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने हेतु संचालित अत्यन्त महत्वाकांक्षी "आयुष्मान भारत" योजना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया स्वकीय पत्र संख्या–VIP-161/पांच–1–2018 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के साथ संलग्न श्री नितिन अग्रवाल, मा0 विधायक/पूर्व मंत्री, उ0प्र0 सरकार के पत्र दिनांक 15.12.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा डाटाबेस में माननीय तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम के सम्मिलित होने पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एस0ई0सी0सी0 (सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना) में निर्धारित मानकों के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया है। उक्त डाटाबेस भारत सरकार की सम्पत्ति है तथा भारत सरकार द्वारा ही लक्षित लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है, योजना के क्रियान्वयन का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, परन्तु किसी व्यक्ति/लाभार्थी के नाम को जोड़ने अथवा हटाये जाने की अधिकारिता राज्य सरकार को नहीं प्रदान की गयी है।

तत्क्रम में आपको सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित पूर्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–हरदोई के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 (छायाप्रति संलग्न) पर कार्यवाही करते हुए स्टेट हेल्थ एजेन्सी के पत्र संख्या–ABPMJAY/431/2019/26 दिनांक 10.01.2019 के माध्यम से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नेशनल हेल्थ एजेन्सी, भारत सरकार को योजनान्तर्गत श्री नरेश अग्रवाल, सांसद राज्य सभा, उनके पुत्र श्री नितिन अग्रवाल, मा0 विधायक/पूर्व मंत्री, उ0प्र0 सरकार एवं उनके परिवार के सदस्यों का नाम हटाने हेतु अनुरोध किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीया,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा–431–11/2018–19/1224 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निजी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
National Health Agency

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 30th August, 2018

CIRCULAR

Subject: Regarding authorizing DC/DMs to implement exclusion clauses in SECC Data.

Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Arogya Yojaja is targeted to benefit 10.74 crore poor, deprived rural families and identified occupational category of urban workers' families as per the Socio Economic Caste Census (SECC) 2011. The SECC 2011 is a study of socio economic status of rural and urban households that allows ranking of households based on predefined parameters. It was conducted under the overall coordination of Department of Rural Development. The data is based on 2011 SECC Census riding over National Population Register demographics. As per the SECC 2011, the following beneficiaries are automatically excluded:

i. Households having motorized 2/3/4 wheeler/fishing boat.
ii. Households having mechanized 3/4 wheeler agricultural equipment
iii. Households having Kisan Credit Card with credit limit above Rs. 50,000.
iv. Household member is a Government employee,
v. Households with non-agricultural enterprises registered with Government.
vi. Any member of household earning more than 10,000 per month.
vii. Households paying income tax.
viii. Households paying professional tax.
ix. House with three or more rooms with pucca walls and roof.
x. Owns a refrigerator
xi. Owns a landline phone.
xii. Owns more than 2.5 acres of irrigated land with 1 irrigation equipment.
xiii. Owns 5 acres or more of irrigated land for two or more crop season
xiv. Owning at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment.

2. This study was conducted in 2011, an additional data collection drive was undertaken to update family data. However, there may still be some glaring instances, where some of those who have to be automatically excluded in 2011 but are figuring in the list of eligible beneficiaries. In such cases, Statea re advised to authorize the District Collectors/District Magistrates or Deputy Commissioners to exclude such beneficiaries from the eligibility list. This should be done on the basis of written representation and after due summary inquiry is conducted into each particular case.

(Dr. Indu Bhushan)
Chief Executive Officer
National Health Agency

To All Chief Secretaries of States